न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 2024/38

1. बिजेन्द्र पुत्र कन्हैया, जाति मीणा, निवासी मंगोलाकी, तहसील कठूमर जिला अलवर।
2. चतर सिंह पुत्र कन्हैया, जाति मीणा, निवासी मंगोलाकी, तहसील कठूमर जिला अलवर।
3. रामजीलाल दत्तक पुत्र लक्ष्मण, जाति जाट, निवासी मंगोलाकी, तहसील कठूमर जिला अलवर।
4. पप्पूराम पुत्र रामजीलाल, जाति मीणा निवासी मंगोलाकी, तहसील कठूमर, जिला अलवर।
5. रचना पत्नि सुरेन्द्र, जाति मीणा, निवासी मंगोलाकी, तहसील कठूमर जिला अलवर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कठूमर, जिला अलवर, राजस्थान।
2. प्रकाश चन्द्र पुत्र सम्पत, जाति मीणा, निवासी मंगोलाकी, तहसील कठूमर जिला अलवर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी कठूमर, जिला अलवर दिनाक 10.10.2023

उपस्थित–

1. श्री विजय सिंह राठौड, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –19.06.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कठूमर, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 10.10.2023 के खिलाफ दिनांक 29.04.2024 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि तहसीलदार कठूमर (अलवर) ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत 21.12.2022 के द्वारा ग्राम मंगोलाकी पटवार मण्डल मंगोलाकी तहसील कठूर के खसरा 2079, 2078, 2077, 2080, 2076, 2075, 2074, 2061, 2066 में से रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर ने तहसीलदार कठूमर के प्रस्ताव दिनांक 21.12.2022 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों में से जा रहे रास्ते को आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा, संबंधित पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एव 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम मंगोलाकी तहसील कठूमर के तहसीलदार कठूमर प्रस्तावित खसरों में से मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट–ए में वर्णितनुसार कराने एवं पालना रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी कठूमर के कार्यालय में पेश करने के आदेश पारित किये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उप खण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1010.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर दिनांक 10.10.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार कठूमर द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहत न्यायालय में दिनांक 21.12.2022 को इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया कि आराजी खसरा नं0 2061 रकबा 3.01 मे 0.02 है0 2066 रकबा 0.38 मे से 0.01 है0, 2074 रकबा 0.83 में से 0.01 है0, 2075 रकबा 0.18 में से 0.01 है0, 2076 रकबा 0.29 में से 0.01 है0, को गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे राजस्व रिकार्ड में अंकित करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 भू–राजस्व अधिनियम के तहत नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के अनुशंषा के साथ प्रस्तुत किया गया। जिस पर विद्वान तहत न्यायालय ने पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट प्राप्त की और अपीलान्टान के बगैर सुने अपीलाधीन आदेश मिन अपीलान्टान की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी मे से दिये जाने के आदेश दिनांक 10.10.2023 को पारित कर दिया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.10.2023 मिन अपीलान्टान के पीठ पीछे से बाला–बाला पारित किया गया है। जिसकी मिन अपीलान्टान को कोई जानकारी नहीं है लेकिन दिनांक 14 04.2024 को उक्त विवादित खसरा नम्बरान में से रास्ता दिये जाने की कार्यवाही पटवारी हल्का द्वारा की गई तो पटवारी हल्का ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी कठूमर के आदेश दिनांक 10.10.20223 के तहत रास्ता जारी किया गया है। जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन भी किया जा चुका हैफ। जिस पर मिन अपीलान्टान ने उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में जाकर जानकारी की तो पता चला कि दिनांक 10.10.2023 को मिन अपीलान्ट के पीछे से मिन अपीलान्ट को बगैर सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसकी नकल हेतु दिनांक 15.04.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो नकल उसी दिन सांय काल प्राप्त हुई। नकल व अन्य दस्तावेजात लेकर वकील साहिब से सलाह मशोहरा किया जिन्होने अपील करने की हिदायत दी। जिस पर मिन अपीलान्टान ने आपस में सलाह करके तथा पैसा आदि का इन्तजाम करके अपील करने का निर्णय लिया तथा वकील साहब से आकर दिनांक 28.04.2024 को मिले। जिन्होनें अपील तैयार कर आज बिना किसी देरी के न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत की जा रही है। हांलाकि जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत अलग से प्रस्तुत किया जा है इसलिये दिनांक 10.10.2023 से जानकारी के दिन व सलाह मशोहरा के दिन को मुजरा दिये जाने से अपील अन्दर मियाद पेश है। आराजी खसरा नं0 2061, 2066, 2074, 2075, 2076, 2079, 2078, 2077, 2080 मिन अपीलान्टान व अन्य सहकाश्तकारों को कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस आराजी मे होकर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है और ना ही आज मौके पर है। लेकिन पटवारी हल्का ने बेवजह रंजिशवश प्रकाश मीणा से मिलकर उक्त रास्ते की कार्यवाही कराई है जो इनकी बदनियती पर आधारित है जबकि विवादित आराजी में से कभी कोई रास्ता पूर्व राजस्व रिकार्ड में व नक्शे में नहीं रहा। विद्वान तहत न्यायालय ने पूर्व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन नहीं किया और अपीलाधीन आदेश पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार की अनुशंषा पर पारित किया है। आराजी खसरा नं0 2078 अपीलान्ट संख्या 6, खसरा नं. 2077 अपीलान्ट संख्या 3, खसरा नं0 2075 अपीलान्ट संख्या 1 और 2, खसरा नं0 2061 अपीलान्ट संख्या 1 और खसरा नं. 2080 अपीलान्ट संख्या 4, खसरा नं0 2089 अपीलान्ट सख्या 5 के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। प्रकाश मीणा द्वारा अपनी आराजी में रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट व पटवारी हल्का से मिलकर यह समस्त कार्यवाही कराई है जिसका कि उसको हक व अधिकार नहीं है क्योंकि विवादित आराजी में कभी कोई रास्ता नहीं रहा और यदि उसे रास्ता चाहिए था तो उसे

251(ए) के तहत सक्षम न्यायालय में चाराजोही करके रास्ता लेना चाहिए था लेकिन उसने बदनियति पूर्वके यह कार्यवाही की है। तहत न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किये गये है वे किसी भी पक्षकार को प्राप्त नहीं हुए और ना ही विधिवत तामिल कराई गई। महज एक नोटिस पर ही सभी के हस्ताक्षर कराए गए है जबकि कानूनन अलग–अलग नोटिस जारी किये जाने चाहिए थे इससे स्पष्ट है कि पीडित पक्षकार को विधिवत तामिल ना कराकर जल्दबाजी में निर्णय पारित किया गया है। निकटतम रास्ता नहीं देकर काफी घुमाव कर रास्ता दिया गया है। परिपत्र के अनुसार तहत न्यायालय ने सभी सहखातेदारों की सहमति पत्र संलग्न करने के निर्देश दिये थे। लेकिन मिन अपीलान्टान खातेदारान की कोई सहमति नही है और ना ही हस्ताक्षर किये है। साथ ही दिनाक 6.12.2022 को रिपोर्ट पटवारी द्वारा तैयार की गई उसमें भी मिन अपीलान्टान के सहमति पर हस्ताक्षर नहीं है और उसी ने पटवारी हल्का ने यह अंकित किया है कि अन्य जो खातेदार सहमत है उन्होनें सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में मिन अपीलान्टान की कोई सहमति नहीं थी और बिना सहमति के अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य आदेश तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कठूमर जिला अलवर दिनांक 10.10.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पों. नं. 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि समस्त कृषक गण ग्राम मंगोलाकी ने उपखण्ड अधिकारी कठूमर को एक प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 2061, 2066, 2067, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078 में होकर वर्तमान में कच्चा रास्ता आने जाने हेतु मौके पर चालू है जो की हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी कठूमर ने तहसीलदार कठूमर को उक्त प्रकरण में नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार कठूमर (अलवर) ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत दिनांक 21.12.2022 के द्वारा ग्राम मंगोलाकी पटवार मण्डल मंगोलाकी तहसील कठूमर के ख.नं. 2079, 2078, 2077, 2080, 2076, 2075, 2074, 2061, 2066 में से रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर ने तहसीलदार कठूमर के प्रस्ताव दिनांक 21.12.2022 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरो मे से जा रहे रास्ते को आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा, संबंधित पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम मंगोलाकी तहसील कठूमर के तहसीलदार कठूमर प्रस्तावित खसरों में से मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट–ए में वर्णितनुसार कराने एवं पालना रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी कठूमर के कार्यालय में पेश करने के आदेश पारित किये गये हैं। उनका यह भी कहना है कि यह रास्ता प्रचलित रास्ता है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे, जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से अपील खारिज की जावे ।

7. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे, जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 15.04.2024 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। तहसीलदार कठूमर (अलवर) ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने प्रस्ताव दिनांक 21.12.2022 को ग्राम मंगोलाकी पटवार मण्डल मंगोलाकी तहसील कठूमर के ख.नं. 2079, 2078, 2077, 2080, 2076, 2075, 2074, 2061, 2066 में से रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर ने तहसीलदार कठूमर के प्रस्ताव दिनांक 21.12.2022 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों में से जा रहे रास्ते को जो आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा, संबंधित पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम मंगोलाकी तहसील कठूमर के तहसीलदार को प्रस्तावित खसरों में से मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट–ए में वर्णितनुसार कराने एवं पालना रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी कठूमर के कार्यालय में पेश करने के आदेश पारित किये गये हैं। पत्रावली के अवलोकन से तथा बहस में उद्वरित कथनों से प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2023 राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.3(2)राज5–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक दिनांक 10.08.2016 की मंशानुसार पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी कठूमर, जिला अलवर दिनांक 10.10.2023 यथावत रखा जाता है ।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर